

खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

प्रकार का नाम	विवरण (विवरण)	व्यवस्थापक का नाम	जालका	पुस्तकपत्र क्रम	खाता नंबर : 1422-1427	भाग : 1	खाता संख्या : 00413	दिनांक
खातेदार का नाम / बिना पंजीकृत का नाम / विकास स्थान	खसता संख्या	शेयर (₹.)	अंश	अंश	अंश	अंश	अंश	अंश
श्रेणी : E-3-अ / अन्य कृषि क्षेत्रों में शामिल								
शेयर //								
	383	0.0350	142610 भारतीय सं 744/ एन - 1 - 20-6-20 (5) / 2016 दिनांक 3-6-16 के पैरा - 4(2) के अनुसार 200000 सं 2006 की पाठ - 59 की उप धारा-4) के खण्ड (ग), के अर्थात् राज्य सरकार के सेवानिवृत्तियों से अर्थात् अर्थव्यवस्था की धारा - 59 की उप धारा - (2) के खण्ड - (एक) (तीन) तथा (चार) के द्वारा प्राप्त करियों के अर्थात् वित्तिय विधि संख्या 258/ राज्य - 116 (1) / 73, दिनांक 5-3-1974 के अंतर्गत में वित्तियकारी मंत्रालय सं 30-8-18 के अंतर्गत प्राप्त धारा के खसता सं 325 रकमा दिनांक 30-8-18 के अंतर्गत अर्थात् वित्तियकारी मंत्रालय सं 0.261020 की प्रवक्तारी अर्थात् वित्तियकारी मंत्रालय सं 31-8-18 दिनांक 30-8-18 के अंतर्गत प्राप्त धारा के खसता सं 325 रकमा 0.261020 की प्रवक्तारी अर्थात् वित्तियकारी मंत्रालय सं 31-8-18 दिनांक 30-8-18 के अंतर्गत प्राप्त धारा के खसता सं 325 रकमा					
	310	0.0430						
	133	0.0180						
	305	0.0770						
	325	0.2610						
	331	0.2920						
	340	0.2460						
	350	0.0510						
	372	0.0100						
	375	0.0610						
	385	0.1950						
	528	0.0200						
	529	0.2770						
	530	0.4920						
	532	0.0320						
	536अ	0.1030						
	538	0.0720						
	620	0.0670						
	645अ	0.0200						
	285	0.0510						
	171	0.0410						
	225अ	0.1030						
	328अ	0.6560						
	351अ	0.0510						
	645अ	0.0200						
	30411	0.3070						
योग	26	3.6010						



“जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण आदेश का प्रारूप”

“आदेश”

उप जिलाधिकारी, बुढाना के प्रस्ताव संख्या-505/रोका0, दिनांक 30-8-2018, तत्क्रम में आख्या संख्या-1294/रोका0, दिनांक 19-3-2019 एवं सचिव, मु0नगर विकास प्राधिकरण, मु0नगर की आख्या संख्या-2060, दिनांक 26-12-2018 के आधार पर आदेश संख्या-1278/12-ए/डी0एल0आर0सी0, दिनांक 26-12-2018 के शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03-6-2016 के पैरा-4(2) के अनुसार “उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-59 की उप धारा-(4) के खण्ड-(ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा-59 की उप धारा-(2) के खण्ड-(एक), (तीन) तथा (चार) के द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय विज्ञापन संख्या-258/राजस्व-116(1)/73, दिनांक 05-3-1974 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं अजय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपर्युक्त दिनांक 25-01-1974 की विज्ञापित के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित गांव सभाओं में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

“अनुसूची”

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	ग्राम सभा नगर पंचायत	भूखण्ड संख्या (खसरा नम्बर)	क्षेत्रफल (है0 में)	विवरण (प्रयोजन) जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मुजफ्फरनगर	बुढाना	बुढाना	बुढाना बांगर दक्षिणी	बुढाना	2597	0.6231 है0	प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत (शहरी) दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु (मु0नगर विकास प्राधिकरण, मु0नगर के पक्ष में)

जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर

(Handwritten signature)

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

दिनांक: 15-3-2019

सचिव

788

18/3/19

संख्या: 928 / बारह-ए / डी0एल0आर0सी0,

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ।
- 2-आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 3-सचिव, मु0नगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर।
- 4-बन्दोबस्त अधिकारी, मु0नगर को इस आशय से कि प्रकरण चकबंदी प्रक्रियाधीन है, को दृष्टिगत रखते हुए पुनर्ग्रहण आदेश की प्रविष्टि तत्काल संबंधित अभिलेखों में कराते हुए नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर दर्ज प्रविष्टि/खतौनी की प्रति अविलम्ब उपलब्ध कराएँ।
- 5-उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, बुढाना (मुजफ्फरनगर) को इस निर्देश के साथ कि उक्त भूमि का इन्द्राज राजस्व/चकबंदी अभिलेखों में अविलम्ब अंकित कराकर खतौनी की प्रति इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

पुष्टि

27/03/19

श्री 0.0.0.0

4204 पत्रा
(50000)

क.का.प.

श्री 0.0.0.0
क.का.प.

27/03/19.

(अजय शंकर पाण्डेय)
जिलाधिकारी,
मुजफ्फरनगर।

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

Website: www.mdamuzaffarnagar.com & Email: mdamzn@yahoo.co.in

Ph. 0131-2621922 Fax. 0131-2620859

दिनांक: 15/5/19

पत्रांक 628 / मु0वि0प्रा0 / 2019

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
बुढ़ाना,
मुजफ्फरनगर।

विषय: नगर पंचायत बुढ़ाना बांगर दक्षिणी के खसरा सं0 2597 / 2.909 हैक्टेयर में से 0.6231 हैक्टेयर कल्लर श्रेणी 6(4) की भूमि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु (मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के पक्ष में) करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कार्यालय जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र सं0 928 / वारह-ए / डी0एल0आर0सी0, दिनांक 15.04.2019 व इसी क्रम में पत्र सं0 985 / वारह-ए / डी0एल0आर0सी0, दिनांक 25.04.2019 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में आपको अवगत कराना है कि ग्राम सभा नगर पंचायत बुढ़ाना के भू-खण्ड सं0 (खसरा सं0) 2597 क्षेत्रफल 0.6231 हैक्टेयर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) दुर्बल आय वर्ग के भवनों के निर्माण हेतु मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त स्थल का तहसील बुढ़ाना के प्रतिनिधि के समन्वय से चिन्हांकन के आधार पर टोटल स्टेशन सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर उक्त भू-खण्ड का क्षेत्रफल 0.6231 के स्थान पर 0.5890 हैक्टेयर है। अवशेष क्षेत्रफल 0.0341 हैक्टेयर की स्थिति स्पष्ट नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण/परीक्षण कराकर भूमि उपलब्धता के आधार पर राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण का नाम अंकित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- टोटल स्टेशन सर्वे मैप।

सचिव,

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
मुजफ्फरनगर।

o/c

प्रतिलिपि-

1. अपर जिलाधिकारी, प्रशासन, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ।
2. तहसीलदार, बुढ़ाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) बुढ़ाना को समन्वय के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव,

मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण,
मुजफ्फरनगर।

o/c